


23.11.20

पत्रावली आज पेश हुई। वकील नारी उपस्थित।  
प्रतिवादी संख्या 3 के वकील श्री कुलकाश पुदी  
उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने पार्थना पत्र फाइल  
7 नियम 11(5) CPC का पेश किया तथा निवेदन  
किया कि दावे हाथ पाद पत्र में विधि नियमों  
की पालना नही की गई है। तथा वाहीगण हाथ  
CPC का क्रिडेश 7 नियम 11(5) के तहत वादपत्र  
को दो प्रतियो में पेश करना था लेकिन  
वादी ने उक्त नियम की अवता भर वादपत्र  
पेश किया है जो वादपत्र नामेंगुद किये  
जाने योग्य है। प्रतिवादी वकील हाथ



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति वादी वकील को दिलाई गई।

हमने पत्रावली ~~का~~ तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र आदेश न नियम 11(5) CPC के तहत खरीज किया जाता है।  
पत्रावली प्रैक्टिस सुमार हीका दायित्व बतल है।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) सिवाना